न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास– पीयुष समारिया, आई.ए.एस.

रसद मामला संख्या– 81 / 2021
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नं0–2021 / 116

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये, रामावतार पूनिया प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय, नागौर		श्री रामकुंवार कमेडिया पुत्र श्री रामस्वरूप कमेडिया निवासी डांगावास तहसील मेडतासिटी जिला नागौर

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से श्री रामावतार पूनिया प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन)
2. अप्रार्थी की ओर से वकील श्री मन्नाराम चौधरी

निर्णय

दिनांक – 02/05/2022

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में सीज सुदा 4 घरेलू गैस सिलेण्डार मय गैस को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए. के तहत समपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने प्रार्थी की ओर से बहस में कथन किया कि दिनांक 30.08.2021 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी, नागौर को डांगावास मे घरेलू रसोई गैस के अवैध भण्डारण एवं व्यवसायिक दुरूपयोग के बारे मे दूरभाष पर मिली सूचना के आधार पर जिला रसद अधिकारी, नागौर के निर्देशानुसार श्री रामजीवन बेनीवाल, प्रवर्तन अधिकारी हमराह रामावतार पूनियां, प्रवर्तन निरीक्षक एवं श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जय श्री बाबा रामदेव होटल अजमेर–नागौर हाईवे सरहद डांगावास तहसील मेड़तासिटी मौके पर समय प्रातः 11 ए.एम. पर पहुंचकर आकस्मिक जांच की।

2(1)–मौके पर निरीक्षण के दौरान होटल में 04 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डरों से खाना पकाया जाना पाया गया। मौके पर उपस्थित व्यक्ति श्री रामकुंवार कमेडिया पुत्र श्री रामस्वरूप निवासी डांगावास से पूछताछ करने पर उन्होनें स्वयं की होटल मैसस जय श्री बाबा रामदेव होटल मे घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग किया जाना स्वीकार किया। श्री रामकुंवार कमेडिया द्वारा जांच सहयोग नही करने व अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर पुलिस थाना मेडतासिटी से पुलिस जाब्ता बुलवाया गया। पुलिस जाब्ता की उपस्थिति मे उक्त कार्यवाही की गई। मौके पर जय श्री बाबा रामदेव होटल के मालिक श्री रामकुंवार कमेडिया से घरेलू गैस के अवैध भण्डारण व व्यवसायिक उपयोग से सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज मांगे जाने पर उसके किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र एवं दस्तावेज नहीं होना स्वीकार किया।

2(2)–मौके पर श्री रामकुंवार कमेडिया द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण व व्यवसायिक उपयोग से सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जाने से मौके पर पाये गये 04 घरेलू गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया।

2(3)–वक्त जांच जय श्री बाबा रामदेव होटल अजमेर–नागौर हाईवे सरहद डांगावास तहसील मेड़तासिटी पर अवैध रूप से घरेलू रसोई गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक दुरूपयोग पाया गया जिनका विवरण निम्न प्रकार [illegible]

क्र. सं.	नाम गैस कम्पनी	एस.आर.नं.	सिल[illegible] का कु[illegible]	रिक्त सिलेण्डर का वजन	शुद्ध गैस वजन
1	इण्डेन गैस	6007[illegible]-S	2[illegible] kg	15.7 kg	0.00 kg
2	इण्डेन गैस	[illegible]-S	[illegible] kg	15.9 kg	0.00 kg
3	इण्डेन गैस	469435-E	29.8 kg	15.6 kg	10.0 kg
4	इण्डेन गैस	553099-E	30.0 kg	15.8 kg	5.9kg

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.08 16:29:37 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

2(4)—इस प्रकार श्री रामकुंवार कमेडिया मैसर्स श्री बाबा रामदेव होटल अजमेर–नागौर हाईवे सरहद डांगावास तहसील मेड़तासिटी द्वारा अवैध रूप से घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर का भण्डारण कर व्यवसायिक दुरूपयोग करना, "लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर,2000 के खण्ड 3(1) (b) (c), खंण्ड 4(1) (b) (c). 2 खण्ड, 6, खण्ड 7 (1)(a) की स्पष्ट अवहेलना हैं जो कि, 'आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः मौके पर प्रार्थी के आवेदन के पैरा नं. 4 मे अंकितानुसार 4 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को वास्ते सबुत जब्त सरकार किया जाकर श्री रणवीर उर्फ चन्द्र पकाश डिलीवरी मैन मैसर्स विष्णु गैस एजेन्सी मेड़तासिटी को निर्णय होने तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द कर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये जाने का कथन करते हुए उक्त सीज सुदा 4 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए. समपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

3. वकील अप्रार्थी ने अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जबाब में किये गये कथनों को हूबहू दौहराते हुए बहस में कथन किया कि श्री रामावतार पूनिया प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय नागौर ने जो चार इण्डेन के गैस सलेण्डर मेरी होटल से जब्त किये थे वो मेरे घरेलू गैस कनेक्शन के खाली गैस सेलेण्डर थे, जिनको गैस भरवाने हेतु रखे थे। मेरे होटल में काम हेतु व्यावसायिक गैस सलेण्डर का कनेक्शन है, उसका उपयोग करता हूँ। मेने घरेलू गैस कनेक्शन उपयोग बात नहीं स्वीकारी थी मैने कहा था कि व्यावसायिक गैस सिलेण्डर काम लेता हूँ। उस दिन जन्माष्टमी थी तथा कोराना महामारी के कारण होटल बंद होने का कथन करते हुए चारो जब्त इण्डेन गैस सलेण्डरों को वापस लौटाने तथा भविष्य में घरेलू गैस सलेण्डर भरवाने हेतु होटल के पास नहीं रखने का कथन किया है।

4. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में जिला रसद अधिकारी नागौर को डांगावास में घरेलू गैस के अवैध भण्डारण व व्यवसायिक उपयोग के बारे में दूरभाष पर मिली सूचना के आधार पर जिला रसद अधिकारी नागौर के आदेशानुसार श्री रामजीवन बेनीवाल प्रवर्तन अधिकारी, श्री रामावतार पूनिया व श्री शिवराम प्रवर्तन निरीक्षकगण ने दिनांक 20.08.2021 को अप्रार्थी होटल श्री बाबा रामदेव होटल अजमेर–नागौर हाईवे सरहद डांगावास पहूंच कर मौका निरीक्षण करने पर होटल में 4 घरेलू गैस सिलीडरों से खाना पकाया जाना पाया। मौके पर उपस्थित अप्रार्थी से पूछताछ करने पर अप्रार्थी ने होटल स्वंय की होना एवं घरेलू गैस सिलीण्डरों का व्यापारिक उपयोग किया जाना स्वीकार किया। अप्रार्थी द्वारा जॉच में सहयोग नहीं करने पर पुलिस थाना मेडतासिटी से पुलिस जाब्ता बुलाया गया। पुलिस जाब्ता की उपस्थिति में अप्रार्थी से घरेलू गैस के भण्डारण व व्यवसायिक उपयोग से संबंधित आवश्यक दस्तावेज मांगे जाने पर किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं होना स्वीकार किया और न ही ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये, जिस पर जॉच दल द्वारा होटल में पाये गये इण्डेन कम्पनी के चार घरेलू गैस सिलेण्डर जिनका विवरण इस निर्णय के बिन्दु संख्या–2(3) में जब्त किया जाकर मौके पर फर्द जब्ती मय सुपुर्दगीनामा के मैसर्स विष्णु गैस ऐजेन्सी मेड़तासिटी के प्रतिनिधि श्री रणवीर उर्फ चन्द्र प्रकाश को सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द किये गये। उक्त कार्यवाही के सबंध में फर्द मौका दिनांक 30.08.2021, फर्द जब्ती मय सुपुर्दगीनामा दिनांक 30.08.2021 तैयार की गई। उक्त फर्दात पर अप्रार्थी श्री रामकुवांर के भी हस्ताक्षर अंकित है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध अप्रार्थी श्री रामकुवांर के बयान अनुसार *"आज कमर्शियल गैस सिलीण्डरों में गैस समाप्त हो जाने के कारण घरेलू गैस सिलीण्डरों का उपयोग किया गया है। अब भविष्य में मैं मेरी इस होटल में घरेलू गैस सिलीण्डरों का उपयोग नहीं करूंगा।"* अप्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रकरण में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत जबाब में कथन किया कि मेरी होटल से चार इण्डेन के गैस सिलेण्डर जब्त किये गये वो मेरे घरेलू गैस कनेक्शन के खाली थे, जिनको भरवाने हेतु रखा था। अप्रार्थी ने उक्त जब्तशुदा चारों गैस सिलेण्डर उसके घरेलू गैस कनेक्शन के होने बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, इसलिए अप्रार्थी का उक्त कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। अप्रार्थी द्वारा एक ओर अपने जबाब में स्वीकार कर रहा है कि श्री रामावतार पूनिया प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय नागौर ने चार इण्डेन के गैस सलेण्डर मेरी होटल से जब्त किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.08 16:29:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
नागौर (राजस्थान)
कलक्टर, नागौर

थे अप्रार्थी के इस कथन से स्पष्ट है कि गैस सिलेण्डर जब्ती की दिनांक को उसकी होटल खुली थी। वहीं दूसरी ओर अप्रार्थी ने अपने जबाब में कथन किया है कि उस दिन जन्माष्टमी थी तथा कोरोना महामारी के कारण होटल बंद थी, इस प्रकार प्रकरण में जॉच दल द्वारा चार गैस सिलेण्डर जब्ती की दिनांक को होटल खुली थी अथवा बंद थी के संबंध में अप्रार्थी के जबाब में किये गये कथन विरोधाभाषी है। अप्रार्थी ने अपने जबाब में कथन किया कि मेरे होटल में काम हेतु व्यावसायिक गैस सलेण्डर का कनेक्शन है, उसका उपयोग करता हूँ, परन्तु अप्रार्थी ने व्यावसायिक गैस सलेण्डर का कनेक्शन होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, इसलिए अप्रार्थी का उक्त कथन स्वीकार योग्य नहीं है। इस प्रकार प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा अपनी होटल में उपर्युक्तानुसार इण्डेन कम्पनी के चार घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से रखकर खाना पकाने के अवैध काम में लिया जाकर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग एवं भण्डारण करना साबित है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र से स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में इस निर्णय के पैरा संख्या–2(3) वर्णित इण्डेन कम्पनी के जब्तशुदा चार घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को समपहरण (Confiscate) किये जाने आदेश दिया जाता है। उक्त जब्त शुदा 4 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस का नियमानुसार कीमतन निस्तारण करने का जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिया जाता है। उक्तानुसार प्राप्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

6. निर्णय सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.08 15:29:37 IST
Reason: SelfAttested